Speed Post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय)

F.N. MP/5/2016/ST&MP/SEOTM/RU-III

छठा तल, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 25.10.2016

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल

2. प्रमुख सचिव,
पुनर्वास विभा,
मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल

3. प्रमुख सचिव,
अनुसूचित जनजाति विकास विभाग,
मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

4. श्री रजनीश वैश्य,
उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

5 जिला कलेक्टर,
आलीराजपुर,
मध्य प्रदेश

6. जिला कलेक्टर,
धार,
मध्य प्रदेश

7. जिला कलेक्टर,
बड़वानी,
मध्य प्रदेश

विषयः डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक 25.09.2016 से 28.09.2016 तक इंदौर, धार, आलीराजपुर तथा बड़वानी (मध्य प्रदेश) दौर की रिपोर्ट के संबंध में।

मुझे उपरोक्त विषय पर डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, के दिनांक 25.09.2016 से 28.09.2016 तक इंदौरा, धार आलीराजपुर तथा बड़वानी (मध्य प्रदेश) जिलों के दौरे एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से साथ की गई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीया,

के०डी० बंसौर

(के.डी. बंसौर)श्रीमती

निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा–आशिष, नवलपुरा, बड़वानी, मध्य प्रदेश–451551, दूरभाष सं. 07290–291464,291938,
2. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीयन अनुसूचित जनजाति आयोग, कमरा नम्बर 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल.462011(म.प्र.)
3. एसएसएएनआईसी,

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

क्रमांक MP/5/2016/STGMP/SEOTH/RU-III

दिनांक 25.10.2016

## डा. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, के दिनांक 25–9–2016 से 28–9–2016 तक इंदौर, धार आलीराजपुर तथा बड़वानी (मध्य प्रदेश) दौरे की रिपोर्ट।

1.0 डा. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ने इंदौर, धार आलीराजपुर तथा बड़वानी (मध्य प्रदेश) का दौरा किया। दौरे में उनके साथ श्रीमती के.डी. बंसोर, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में पदस्थ सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी, तथा श्री प्रकाश पाटिल गए । साथ ही श्री जी.एस. नेताम, अपर आयुक्त, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, भोपाल ने दिनांक 25–9–2016 से 28–9–2016 तक इंदौर, धार आलीराजपुर तथा बड़वानी (मध्य प्रदेश) का दौरा किया। आयोग ने धार, आलीराजपुर तथा बड़वानी में सरदार सरोवर बाँध की डूब क्षेत्र से प्रभावित हुए अनुसूचित जनजातियों के विस्थापन, भूमि अधिग्रहण एवं राहत तथा पुनर्वास से प्रभावित/विस्थापित परिवारों की वर्तमान जीवन स्थिति को देखना था ।

## 2.0 आयोग के दौरे का विषयः–

31 अगस्त 2016 को सुश्री मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा आयोग को पत्र भेजा । जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विगत 31 वर्षों से न्याय के लिए लड़ते आ रहे सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित आदिवासियों की समस्याओं के बारे में आयोग को अवगत कराया। आलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगौन जिलों में बसे अनुसूचित जनजाति को आजतक पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित नहीं किया गया है तथा इन परिवारों की जीवन स्थिति जहां की तहां बनी हुई है। पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:–

- मध्य प्रदेश में मात्र 50 परिवारों को आज तक भूमि दी गई है।
- नर्मदा जल विवाद अवार्ड (एनडब्ल्यूएल अवार्ड) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के घर, खेत बिना पुर्नवास डुबाये गये।
- डूब क्षेत्र में आज भी 40,000 से 50,000 परिवार निवासित हैं।
- 1993 से शुरू करते हुए 2004 तक मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण हुआ, जिसका उन्हें मुआवजा कई वर्षों बाद मिला।



रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi